कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

सूचना

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा I से V के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्ण उम्मीदवारों से विज्ञप्ति सं0 01/2013, दिनांक 13.11.2013 के द्वारा राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षत उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में दिनांक 15.12.2013 तथा पारा शिक्षकों से दिनांक 30.12.2013 तक स्पीड/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में विभिन्न कोटि के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि में रिक्त कुल पदों 1217 के विरूद्ध कुल 11253 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे। स्क्रुटनी उपरांत अभ्यर्थी के संदर्भ में जो स्थिति बनी थी उसे **www.dhanbad.nic.in** पर दिनांक 03.07.2014 को अपलोड करते हुए विज्ञप्ति संख्या–2/2014, दिनांक 08.07.2014 के द्वारा दिनांक 15.07.2014 तक आपत्ति साक्ष्य के साथ आमंत्रित किये गये थे।

प्राप्त आपत्तियों को गुण–दोष के आधार पर निष्पादनोंपरांत दिनांक 13.08.2014 को सम्पन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णयानुसार औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण किया गया है जिसे **www.dhanbad.nic.in** पर अपलोड किया जा रहा है।

मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों के कांउसिलिंग हेतु निम्न रूप से तिथि निर्धारित की जा रही है –

कांउसिलिंग की तिथि	स्थान एवं समय	प्रतिभागी का विवरण
25.08.2014	उच्च विद्यालय भिस्तीपाड़ा, धनबाद पूर्वाह्न : 10:00 बजे से	हिन्दी गैर पारा शिक्षक एवं उर्दू गैर पारा शिक्षक के सभी अभ्यर्थी / अभ्यर्थी जिनके नाम के सामने DPE अंकित है वे उक्त तिथि को कांउसिलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे। इनके लिए अलग से कांउसिलिंग की तिथि निर्धारित की जायेगी।
26.08.2014	उच्च विद्यालय भिस्तीपाड़ा, धनबाद पूर्वाह्न : 10:00 बजे से	हिन्दी पारा एवं उर्दू पारा के सभी अभ्यर्थी

औपबंधिक मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों को अलग से कांउसिलिंग हेतु बुलावा पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों को ससमय पत्र यदि नहीं प्राप्त होता है वे भी इस सूचना के आधार पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकते है।

कांउसिलिंग के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख/कागजातों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है :-

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. झारखण्ड टेट प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
3. सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ। उक्त दोनों प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं विहित–प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
4. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
5. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
7. 22सें0मी0 x 10सें0मी0 का एक स्टेन्डर्ड साईज लिफाफा जिसपर 27 रूपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बन्द कभर फाईल में रखा होगा। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा क्रमांक/कोटि अंकित होगा।

13/8/14

जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद